सी0पी0एन0ई0टी0–2023 के मॉपअप राउण्ड हेतु निर्देश

दिनांकः 26–09–2023 (मंगलवार) **स्थान :– यू0पी0यू0एम0एस0 ऑडिटोरियम**
रिर्पोटिंग समय : प्रातः 9:30 बजे

मापअप राउण्ड की प्रक्रियाः–

1. **मापअप राउण्ड में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया हो।**
2. विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में रिपोर्टिंग का समय प्रातः 9:30 रहेगा
3. अपरान्ह 12:00 बजे तक ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का मापअप राउण्ड के लिये रजिस्ट्रेशन करवाया जायेगा।
4. अपरान्ह 12.00 बजे के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को मापअप राउण्ड में प्रतिभाग के लिये रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. उपरोक्त समस्त रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को उनकी ओवर आल रैंक के आधार पर बारी–बारी से बुलाया जायेगा एवं रिक्त सीटों की उपलब्धता, ओवर ऑल रैंक, कैटेगिरी रैंक, पाठ्यक्रम की अर्हता के आधार पर सीट का आवंटन किया जायेगा।
6. जिन अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन होगा उन्हें तत्काल सम्बन्धित पाठ्यक्रम की फीस ऑन–स्पॉट जमा करानी होगी एवं बायोमेट्रिक वेरीफीकेशन एवं डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना होगा। फीस ऑनलाईन या ऑफलाईन जमा करायी जा सकती है।
7. सभी अभ्यर्थी मापअप राउण्ड हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी प्रतिलिपि 02 सेट में एवं 05 फोटोग्राफ एवं फीस (बी0फार्म0–रू0 29,500.00 एवं ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0–रू0 25,000.00) सहित आये।

अभ्यर्थी हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :

1. मापअप राउण्ड में सीटों की उपलब्धता लिमिटेड है। पंजीकरण होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसको प्रवेश दिया जा रहा है। अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उसकी अर्हतानुसार सीट उपलब्ध न होने की दशा में उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. सभी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों को मूल रूप में लाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।
3. विभिन्न कैटागिरी में रिक्त सीटों की संख्या काफी कम है। सम्बन्धित कैटागिरी की सीटें समाप्त होने पर, उस कैटागिरी में आगे की काउंसिलिंग स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी अर्हतानुसार एवं कैटागिरी के अनुसार रिक्त सीटों को देखकर ही काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु आये एवं उसी के अनुसार अपना पंजीकरण करायें।
4. सभी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों (जाति प्रमाण–पत्र सहित) को मूल रूप में लाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।
5. यदि कोई अभ्यर्थी ऑन–स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उस स्थिति में उनकी सीट का आवंटन रद्द कर वह सीट काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी।
6. माप–अप राउण्ड में कोई पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमन्य नहीं होगा।
7. पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या में काउंसिलिंग के समय तक परिवर्तन हो सकता है।